

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 46/2017

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
उमाराम पुत्र हीराजी जाति मीणा निवासी खिवाडा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 20/3/18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 59/2016 में उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 65/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खिवाडा के खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म गै०मु० नदी की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30.09.2016 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्शाते हुए दिनांक 19.10.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना बताया है, जबकि मोकें पर अपीलाण्ट का कब्जा ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारवास से दण्डित किया, जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतावश प्रकरण उप तहसीलदार खिवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी जांच किये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट के विरुद्ध गलत रूप से प्रकरण निस्तारित करते हुए बेदखली एवं सूजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। राजस्थान भू राजस्व



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थापित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नहीं किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जबकि वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण भी नहीं है, अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काशत है। इन तथ्यों को मातहत अदालत द्वारा नजर अन्दाज कर जैर अपील आदेश पारित किये हैं। जिस भूमि पर उप तहसीलदार खिवाडा ने अपीलाण्ट का अतिक्रमण माना है, उस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है तथा भूमि मौके पर खाली पडी है। इस कारण जैर अपील पारित आदेश विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की पालना में सिविल जेल में निरुद्ध किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवाडा के खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवाडा के खसरा नम्बर 1281 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार खिवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नहीं किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नदी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाप्ट को समुचित सुनवाई का एवं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया, किन्तु इसके बावजूद अपीलाप्ट्स द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलाप्ट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से की जाती है तथा प्रकरण संख्या 59/2016 में उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 65/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Handwritten signature

(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

पाली